प्र.सं. 78 / 17 श्रीमती सज्जन कुंवर बनाम भैरूगिरी के बजाय लालगिरी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.08.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोल्यारी में साबिक आराजी नंबर 1380, 1381 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसका परिवर्तित रकबा 0.2917 हैक्टर होता है, जबकि हाल आराजी नंबर 2598 रकबा 0.2800 हैक्टर ही अंकित किया गया है, जो रकबा 0.0117 हैक्टर कम अंकित किया गया है। उक्त कमी रकबा प्रतिवादी के खाते की आराजी नंबर 1369 के बने नये नंबर 2590, 2592 व 2593 में शामिल कर दिया गया है। इसी प्रकार साबिक आराजी नंबर 1382 रकबा 8 बिस्वा का परिवर्तित रकबा 0.0864 हैक्टर होता है, जिसके हाल आराजी नंबर 2594 होकर रकबा 0.1000 हैक्टर अंकित किया गया है। नक्शे व सीमाओं अनुसार रकबा 10 बिस्वा बनता है, जो 10 बिस्वा अंकित किया जाना चाहिए जबकि सहवन से 8 बिस्वा ही अंकित किया गया है। अर्थात 2 बिस्वा भूमि कम अंकित की गयी है। हाल रेकार्ड में आराजी नंबर 2594 रकबा 0.1000 हैक्टर के बजाय रकबा 0.1080 हैक्टर अंकित किया जाना चाहिए। अर्थात 0.0080 हैक्टर रकबा कम अंकित किया गया है, जो हाल आराजी नंबर 1392 में शामिल कर लिया गया है। जो प्रतिवादीगण के खाते कर दी गयी है। प्रतिवादीगण के खातेदारी के साबिक आराजी नंबर 1368 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा परिवर्तित रकबा 0.3889—04, आराजी नंबर 1369 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा परिवर्तित रकबा 0.2376—64 के हाल आराजी नंबर 2590 से 2593 कुल किता 4 रकबा 0.6800 बना है जो गत रकबे के मुकाबले 0.0434 हैक्टर ज्यादा अंकित हुआ है। वादी के खाते का कमी रकबा 0.0197 प्रतिवादी के खाते अंकित कर दिया गया है, जो वादी के खाते अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्तानुसार कमी रकबा वादी के खाते दर्ज किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। प्रतिवादी की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.03.2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 20.06.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश त्रिवेदी उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रिकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके अधिवक्ता द्वारा निर्णय	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.09.14 12:30:05 IST
Reason: SelfAttested

की प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, किन्तु स्टाफ के कैम्प में व्यस्त होने के कारण नकल दिनांक 08.06.2017 को प्राप्त हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील मयाद में कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट के खाते में कम रकबा दर्ज हो गया है जो रेस्पोन्डेन्ट के खाते से कम किया जाकर अपीलान्ट के खाते दर्ज किया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकियों का सही विवेचन नहीं किया है। सेटलमेन्ट द्वारा प्रस्तुत नक्शे से अपीलान्ट का कमी रकबा रेस्पोन्डेन्ट में खाते दर्ज हो जाना स्पष्ट है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जाकर अपीलान्ट का वाद डिक्री किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट अनुसार सही निर्णय किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि सेटलमेन्ट द्वारा तैयार रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे में साबिक व हाल नम्बरों में जो फर्क आया है उसे लाल रंग से दर्शा रखा है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट के खाते में रकबा कम दर्ज हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हालांकि तनकीवार विवेचन किया है, किन्तु साक्ष्यों का सही विवेचन किया जाना प्रकट नहीं होता है। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्र.सं. 51/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को पुनः सुनकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.10.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.09.14 12:30:05 IST
Reason: SelfAttested

(एम.एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर